भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-53
सोमवार, 3 फरवरी, 2020/14 माघ, 1941 (शक)

राज्यों में सृजित रोजगार

53. श्री महेंद्र सिंह सोलंकीः

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा मध्य प्रदेश सहित देश के अन्य राज्यों में रोजगार बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(ख) उक्त अवधि के दौरान सृजित रोजगार की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या कितनी है; और

(ग) मध्य प्रदेश के देवास लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में बंद हुई कंपनियों के कारण बेरोजगार युवाओं को पुनः रोजगार प्रदान करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (ग): सरकार ने मध्य प्रदेश सहित देश में, रोजगार का सृजन करने के लिए अर्थव्यवस्था के निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देने, पर्याप्त निवेश वाली विभिन्न परियोजनाओं को गति प्रदान करने और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा संचालित प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचालित महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीए), पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) एवं आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा संचालित दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) जैसी योजनाओं पर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करने जैसे विभिन्न कदम उठाए हैं। इन योजनाओं/कार्यक्रमों के माध्यम से सृजित रोजगार का ब्यौरा अनुबंध-I-IV में दिया गया है।

सरकार ने स्व-रोजगार को सुकर बनाने के लिए, अन्य बातों के साथ-साथ, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) आरंभ की है। पीएमएमवाई के अंतर्गत लघु/सूक्ष्म व्यापरिक उद्यमों तथा व्यक्तियों को अपने व्यापारिक कार्यकलापों को स्थापित करने अथवा विस्तार करने में समर्थ बनाने के लिए 10 लाख रुपए तक का गैर-जमानती ऋण प्रदान किया जाता है।

श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा रोजगार सृजन को बढ़ावा देने हेतु नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए प्रधान मंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमआरपीवाई) आरंभ की गई थी। इस योजना के तहत, सरकार, सभी क्षेत्रों के समस्त पात्र नए कर्मचारियों हेतु ईपीएफ एवं ईपीएस के लिए 3 वर्षों हेतु नियोक्ता के संपूर्ण अंशदान (12% अथवा यथा-स्वीकार्य) का भुगतान कर रही है। पीएमआरपीवाई के तहत पंजीकरण की अंतिम तिथि 31.03.2019 थी।

इन पहलों के अतिरिक्त, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत मिशन, स्मार्ट सिटी मिशन, जीर्णोद्धार एवं शहरी रूपांतरण हेतु अटल मिशन, सभी के लिए आवास, अवसंरचना विकास तथा औद्योगिक गलियारे जैसे सरकार के फ्लैगशीप कार्यक्रमों में उत्पादक रोजगार के अवसर सृजित करने की संभावना है। युवाओं की नियोजनीयता में सुधार करने तथा नियोजन की सुविधा भी प्रदान करने के लिए मंत्रालय/विभाग/राज्य विभिन्न क्षेत्रों में कौशल विकास योजनाएं चलाते हैं। राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्द्धन योजना (एनएपीएस) जैसी योजनाएं, जिनमें सरकार शिक्षुओं को देय वृत्तिका के 25 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति करती है, भी रोजगार प्राप्त करवाने हेतु युवाओं की नियोजनीयता को बढ़ाती हैं।

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के तहत क्षतिपूर्ति के प्रावधान जैसे उपायों के माध्यम से कंपनी के बंद हो जाने से प्रभावित श्रमिकों के हितों की सुरक्षा की जाती है। सीपीएसई के बंद हो जाने/पुनर्गठन होने के कारण वीआरएस/वीएसएस अथवा छंटनी के तहत पृथक् हुए केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसई) के कर्मचारियों (अथवा आश्रितों) को स्व/वेतन रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए परामर्श, पुनर्प्रशिक्षण एवं पुनर्नियोजन (सीआरआर) योजना एक सामाजिक सुरक्षा नेट है। सीआरआर का उद्देश्य छोटी अवधि के कौशल विकास प्रशिक्षण के माध्यम से वीआरएस/वीएसएस लेने वालों/आश्रितों को पुनःस्थापित करना है ताकि वे नए माहौल में समायोजित हो सकें और सीपीएसई से पृथक होने के बाद नए व्यवसाय को अपना सकें। सीआरआर योजना कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) के सहयोग से कार्यान्वित की जा रही है।

अनुबंध-I

लोक सभा के दिनांक 03.02.2020 के अतारांकित प्रश्न संख्या 53 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र	सृजित अनुमानित रोजगार (व्यक्तियों की संख्या)				
		2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20#
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	293	1398	1744	1832	320
2	आंध्र प्रदेश	7740	14148	12216	17760	10056
3	अरुणाचल प्रदेश	104	1984	1672	2240	896
4	असम	9026	31498	18256	29896	7576
5	बिहार	19624	25872	18456	26424	7368
6	छत्तीसगढ़	9496	12856	11704	24752	10304
7	दिल्ली	2048	952	920	1056	448
8	गोवा	500	660	400	624	376
9	गुजरात*	14960	11629	15008	28000	21648
10	हरियाणा	7232	11016	13744	17320	8712
11	हिमाचल प्रदेश	5134	6916	7088	11192	6192
12	जम्मू और कश्मीर	12115	11691	30024	60232	20336
13	झारखंड	12873	10400	8888	14376	4808
14	कर्नाटक	17284	30286	16920	29256	16280
15	केरल	9653	13068	10776	19888	10152
16	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0
17	मध्य प्रदेश	16497	15520	14432	20208	6808
18	महाराष्ट्र**	20161	17799	26632	45136	20032
19	मणिपुर	2715	8419	4800	10328	2848
20	मेघालय	4824	2632	600	3120	1168
21	मिजोरम	9072	3400	1992	8984	2200
22	नागालैंड	4998	7783	7440	9664	2224
23	ओडिशा	17629	20392	19192	24560	9136
24	पुडुचेरी	447	699	352	608	320
25	पंजाब	7762	9858	12160	14408	7448
26	राजस्थान	14537	13408	12614	18872	11648
27	सिक्किम	397	201	296	440	304
28	तमिलनाडु	20836	25764	32760	41480	22904
29	तेलंगाना	7761	6445	9520	16408	9088
30	त्रिपुरा	5355	17961	8928	9432	1960
31	यूटी चंडीगढ़	323	376	360	224	80
32	उत्तर प्रदेश	43059	36315	43456	41944	17424
33	उत्तराखंड	6161	9890	12904	17448	6880
34	पश्चिम बंगाल	12746	26604	10928	19304	9872
	कुल	323362	407840	387182	587416	257816

***दमन व दीव सहित**

**** दादर व नगर हवेली सहित**

स्रोत: सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय

##31.12.2019 को

लोक सभा के दिनांक 03.02.2020 के अतारांकित प्रश्न संख्या 53 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई)

पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) के अंतर्गत राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार वास्तविक उपलब्धि

क्र.सं.	राज्य	वित वर्ष 16-17		वित वर्ष 17-18		वित वर्ष 18-19		वित वर्ष 19-20, दिसम्बर, 2019 तक	
		प्रशिक्षित	नियोजित	प्रशिक्षित	नियोजित	प्रशिक्षित	नियोजित	प्रशिक्षित	नियोजित
1	आंध्र प्रदेश	12787	18966	17341	10954	26383	24894	10223	6106
2	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0
3	असम	8202	1479	9936	3464	16752	7397	9080	11842
4	बिहार	8608	4216	6972	4859	10776	5851	9497	4381
5	छत्तीसगढ़	7355	1987	3111	539	6939	2583	7068	3396
6	गुजरात	2254	2075	528	160	5146	1482	2446	1896
7	हरियाणा	10512	586	2281	5832	1734	3596	1642	5657
8	हिमाचल प्रदेश	0	0	350	0	2845	526	1468	651
9	जम्मू और कश्मीर	7300	6453	1137	1424	4283	631	7083	1203
10	झारखंड	8360	2355	5526	2375	9736	3585	9037	6681
11	कर्नाटक	10909	4432	8871	4752	7542	5411	3580	5048
12	केरल	11246	5598	10587	4175	13736	9656	8815	5751
13	मध्य प्रदेश	10974	3546	5353	1823	9350	2094	7478	1732
14	महाराष्ट्र	4140	3694	7082	7390	18805	4500	8966	7113
15	मणिपुर	0	0	0	0	574	0	864	466
16	मेघालय	0	0	0	0	829	253	1033	424
17	मिजोरम	0	0	0	0	157	0	396	302
18	नागालैंड	0	0	0	0	304	0	797	353
19	ओडिशा	32108	45726	23520	14035	41690	31481	32870	26072
20	पंजाब	0	0	4987	563	2782	1443	1596	972
21	राजस्थान	3837	3397	2599	693	10291	3381	10895	4338
22	सिक्किम	0	70	0	0	64	64	328	32
23	तमिलनाडु	113	30780	519	765	3152	185	7423	1958
24	तेलंगाना	8969	9150	12470	9048	16722	15604	5161	6131
25	त्रिपुरा	1197	342	1530	526	1816	2093	1231	304
26	उत्तर प्रदेश	11203	2052	4795	892	18260	4839	19165	4701
27	उत्तराखंड	0	0	0	0	1145	253	838	551
28	पश्चिम बंगाल	2512	979	2032	1518	8625	3700	5806	2801
	कुल	**162586**	**147883**	**131527**	**75787**	**240438**	**135502**	**174786**	**110862**

स्रोतः ग्रामीण विकास मंत्रालय

अनुबंध- ।।।

लोक सभा के दिनांक 03.02.2020 के अतारांकित प्रश्न संख्या 53 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीए) के अंतर्गत राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार सृजित रोजगार

क्र.सं.	राज्य	सृजित मानव दिवस (आंकड़े लाख में)			
		2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 (28.01.2020 तक)
1	आंध्र प्रदेश	2060.90	2120.92	2465.48	1577.52
2	अरुणाचल प्रदेश	85.38	42.80	68.70	56.63
3	असम	466.09	480.86	533.08	454.97
4	बिहार	858.36	817.20	1233.83	1028.31
5	छत्तीसगढ	885.94	1199.29	1386.02	1020.27
6	गोवा	1.26	0.99	0.15	0.15
7	गुजरात	271.06	353.09	419.61	277.08
8	हरियाणा	84.91	90.34	77.86	65.21
9	हिमाचल प्रदेश	236.61	220.06	285.20	200.95
10	जम्मू और कश्मीर	315.59	370.90	368.90	149.47
11	झारखंड	707.44	592.74	536.64	538.69
12	कर्नाटक	914.06	856.99	1045.00	932.53
13	केरल	684.48	619.50	975.13	609.78
14	मध्य प्रदेश	1130.39	1622.47	2029.73	1590.80
15	महाराष्ट्र	708.94	825.32	846.01	493.67
16	मणिपुर	119.03	61.25	117.39	162.48
17	मेघालय	282.54	291.88	342.15	235.34
18	मिजोरम	168.23	144.38	181.22	163.14
19	नागालैंड	290.71	200.03	132.85	95.29
20	ओडिशा	774.48	922.11	830.30	791.44
21	पंजाब	157.73	223.11	204.47	193.22
22	राजस्थान	2595.93	2397.05	2941.52	2798.12
23	सिक्किम	46.12	34.61	33.55	22.13
24	तमिलनाडु	3999.42	2388.81	2576.97	2103.71
25	तेलंगाना	1082.19	1147.73	1177.29	975.41
26	त्रिपुरा	460.52	175.97	253.02	275.88
27	उत्तर प्रदेश	1575.01	1815.15	2121.39	1986.43
28	उत्तराखंड	236.71	223.02	221.81	132.38
29	पश्चिम बंगाल	2355.46	3125.55	3382.99	1638.45
30	अण्डमान और निकोबार	4.12	1.90	1.94	1.77
31	लक्षद्वीप	0.00	0.06	0.10	0.03
32	पुडुचेरी	5.37	7.26	6.64	6.13
	योग	**23565.00**	**23373.36**	**26796.95**	**20577.37**

स्रोतः ग्रामीण विकास मंत्रालय

अनुबंध -IV

लोक सभा के दिनांक 03.02.2020 के अतारांकित प्रश्न संख्या 53 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम)

(क) 2016-17 से 2019-20 के दौरान डीएवाई-एनयूएलएम के तहत (ईएसटीएण्डपी) के अंतर्गत नियोजित कौशल प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की वर्ष-वार, राज्य-वार संख्या का ब्यौरा

27.01.2020 को

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र	वित वर्ष 2016-17	वित वर्ष 2017-18	वित वर्ष 2018-19	वित वर्ष 2019-20	संचयी
1	आंध्र प्रदेश	35882	12010	54610	6	102508
2	अरुणाचल प्रदेश	0	113	622	1	736
3	असम	293	1284	452	426	2455
4	बिहार	176	1546	826	625	3173
5	छत्तीसगढ़	5858	6476	5182	1041	18557
6	गोवा	66	639	1255	27	1987
7	गुजरात	3920	6388	13213	2727	26248
8	हरियाणा	0	685	2945	336	3966
9	हिमाचल प्रदेश	86	100	417	100	703
10	जम्मू और कश्मीर	0	25	115	84	224
11	झारखंड	2700	20795	6859	827	31181
12	कर्नाटक	637	898	0	0	1535
13	केरल	443	2413	4509	1392	8757
14	मध्य प्रदेश	38060	3039	32501	2784	76384
15	महाराष्ट्र	11768	6083	29227	25715	72793
16	मणिपुर	0	0	109	90	199
17	मेघालय	317	111	210	0	638
18	मिजोरम	147	91	1433	564	2235
19	नागालैंड	341	1749	0	0	2090
20	ओडिशा	2467	776	0	0	3243
21	पंजाब	0	1139	1473	1176	3788
22	राजस्थान	0	33	2725	1009	3767
23	सिक्किम	0	0	248	0	248
24	तमिलनाडु	0	1156	2963	170	4289
25	तेलंगाना	1861	10013	5070	989	17933
26	त्रिपुरा	0	2	228	6	236
27	उत्तर प्रदेश	42174	30058	738	234	73204
28	उत्तराखंड	1731	0	1076	77	2884
29	पश्चिम बंगाल	2691	6919	8954	3554	22118
30	अंडमान एवं द्वीप समूह	0	0	0	0	0
31	चंडीगढ़	283	875	262	106	1526
32	दादरा एवं नगर हवेली	0	0	0	0	0
33	दमन और दीव	0	0	0	0	0
34	दिल्ली	0	0	21	0	21
35	पुडुचेरी	0	0	0	0	0
	कुल	151901	115416	178243	44066	489626

(ख) 2016-17 से 2019-20 के दौरान डीएवाई-एनयूएलएम के तहत व्यक्तिगत/समूह सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के लिए वर्ष-वार, राज्य-वार सहायियत लाभार्थियों की संख्या का ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र	वित वर्ष 2016-17	वित वर्ष 2017-18	वित वर्ष 2018-19	वित वर्ष 2019-20	समग्र
1	आंध्र प्रदेश	13660	21799	21260	10704	67423
2	अरुणाचल प्रदेश	0	47	17	5	69
3	असम	58	722	571	176	1527
4	बिहार	1357	1806	2069	977	6209
5	छत्तीसगढ़	3698	6671	6055	2279	18703
6	गोवा	10	32	25	15	82
7	गुजरात	2704	2293	3366	2723	11086
8	हरियाणा	180	865	910	220	2175
9	हिमाचल प्रदेश	362	653	526	154	1695
10	जम्मू और कश्मीर	794	1492	1462	106	3854
11	झारखंड	636	1528	1130	909	4203
12	कर्नाटक	1962	1049	1590	556	5157
13	केरल	225	924	2006	880	4035
14	मध्य प्रदेश	12999	19218	15001	1946	49164
15	महाराष्ट्र	7297	7669	9589	3303	27858
16	मणिपुर	0	0	0	0	0
17	मेघालय	32	10	15	7	64
18	मिजोरम	520	461	150	113	1244
19	नागालैंड	24	5	51	82	162
20	ओडिशा	4823	5777	4808	2310	17718
21	पंजाब	1717	1044	1775	613	5149
22	राजस्थान	3228	9977	5213	498	18916
23	सिक्किम	2	13	18	0	33
24	तमिलनाडु	21749	41276	45366	29364	137755
25	तेलंगाना	2283	2289	1945	1262	7779
26	त्रिपुरा	53	38	77	19	187
27	उत्तर प्रदेश	10234	13115	9918	6374	39641
28	उत्तराखंड	916	811	909	417	3053
29	पश्चिम बंगाल	1191	1087	1024	602	3904
30	अंडमान एवं द्वीप समूह	0	0	0	0	0
31	चंडीगढ़	0	0	3	3	6
32	दादरा एवं नगर हवेली	0	0	0	0	0
33	दमन और दीव	0	0	0	0	0
34	दिल्ली	0	0	0	0	0
35	पुडुचेरी	56	4	14	1	75
	कुल	**92770**	**142675**	**136863**	**66618**	**438926**

स्रोत: आवास और शहरी कार्य मंत्रालय